



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179420

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30088 वर्ष 2026

सोनू मौर्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : प्रजा सिंह, राजन श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, विवेक कुमार यादव

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. श्री विवेक कुमार यादव, अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने कल इस न्यायालय के कार्यालय में सूचनादाता की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया था, किंतु कारण सूची में उनका नाम प्रदर्शित नहीं हो सका।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजन श्रीवास्तव, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक कुमार यादव तथा राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री अजय सिंह को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 225 सन् 2025, धारा 103(1), 238 बी.एन.एस., थाना लाइन बाजार, जनपद जौनपुर में अधीनस्थ न्यायालय में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02.06.2025 को आवेदक, उसके भाई तथा उसकी माता के विरुद्ध दर्ज की गई थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक ने सह-अभियुक्त के साथ मिलकर सूचनादाता के पिता की हत्या की, किंतु यह स्वीकार किया गया है कि मामले का सूचनादाता घटना का चश्मदीद गवाह नहीं था।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और मृतक का शव दिनांक 01.06.2025 को मिला था तथा शव की बरामदगी के बाद सूचनादाता ने स्वयं 19:30 बजे पुलिस को सूचना दी थी और उसकी सूचना पर दिनांक 01.06.2025 को पंचायतनामा की कार्यवाही की गई थी तथा पंचायतनामा में सूचनादाता स्वयं पंचायतनामा का एक साक्षी था, किंतु उसके बाद अगले दिन उसने वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई और यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सूचनादाता द्वारा वर्णित कहानी झूठी और निराधार है।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि शव-परीक्षण रिपोर्ट से भी यह परिलक्षित होता है कि मृतक के सिर पर केवल एक नील था और उसकी मृत्यु रक्तसावी सूजन (हेमेटोमा) के कारण हुई तथा इसलिए प्रथम दृष्टया भी यह हत्या का मामला प्रतीत नहीं होता है।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि जांच के दौरान विवेचक ने सी.सी.टी.वी. फुटेज एक्त्र की और उसके परिशीलन से यह परिलक्षित होता है कि आवेदक अपनी माता के साथ बैठा था और उन दोनों के बीच एक अन्य व्यक्ति बैठा था तथा कुछ समय बाद वह अपनी माता के साथ दोपहिया वाहन से वापस आया, किंतु तीसरा व्यक्ति उनके साथ नहीं था। हालांकि, जांच के दौरान विवेचक ऐसा कोई साक्ष्य एक्त्र नहीं कर सका कि आवेदक और उसकी माता के बीच बैठा व्यक्ति मृतक ही था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



8. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि ऐसा कोई ठोस साक्ष्य बिल्कुल नहीं है, जो आवेदक को वर्तमान अपराध से जोड़ सके।

9. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह वर्तमान मामले में दिनांक 03.06.2025 से, अर्थात् पिछले एक वर्ष से अधिक समय से जेल में निरुद्ध है।

10. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों पर विवाद नहीं कर सके।

11. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

12. यद्यपि आवेदक का नाम उसके भाई तथा माता के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में है, किंतु यह स्वीकार किया गया है कि मामले का सूचनादाता घटना का चश्मदीद गवाह नहीं था। अभिलेख से आगे यह भी प्रतीत होता है कि कोई चश्मदीद गवाही नहीं है और यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है।

13. अभिलेख की पृष्ठ संख्या 31 पर संलग्न पंचायतनामा रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित अभियोजन की कहानी प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होती है।

14. आगे, यद्यपि जांच के दौरान विवेचक ने दो सी.सी.टी.वी. फुटेज एकत्र की हैं और उनके परिशीलन से यह परिलक्षित होता है कि एक सी.सी.टी.वी. फुटेज में दोपहिया वाहन पर आवेदक और उसकी माता के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ था तथा दूसरी सी.सी.टी.वी. फुटेज से यह परिलक्षित होता है कि दोपहिया वाहन पर आवेदक अपनी माता के साथ था, किंतु तीसरा व्यक्ति उनके साथ नहीं था, तथापि अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री से यह परिलक्षित नहीं होता कि दोपहिया वाहन पर आवेदक और उसकी माता के बीच बैठा तीसरा व्यक्ति मृतक था। इससे यह परिलक्षित होता है कि विवेचक इस संबंध में कोई साक्ष्य एकत्र नहीं कर सका।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. आगे, शव-परीक्षण से भी यह परिलक्षित होता है कि मृतक के सिर पर केवल एक नील था और उसकी मृत्यु हेमेटोमा के कारण हुई। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि प्रथम दृष्टया वर्तमान मामला हत्या का मामला प्रतीत नहीं होता है, इस स्तर पर पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता।

16. आगे, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह वर्तमान मामले में पिछले एक वर्ष से अधिक समय से जेल में निरुद्ध है।

17. अतः, ऊपर चर्चित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

18. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

19. आवेदक-**सोनू मौर्य** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

20. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



21. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

25 अगस्त, 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।